~~प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट~~

परिशिष्ट 'छ्त्तीस' [16/3/2016] परिशिष्ट - 1

प्रश्न सं. [क्र. 5210]

Q.No-5210

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/प्रशा/स्था/ए-4/वि.जा./397/15 भोपाल, दिनांक 13/02/2015

:: आदेश ::

अशास. शिक्षण संस्था दाताहरि पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल कुक्षी, जिला-धार द्वारा सत्र 2011-12 के लिये कक्षा 11वीं की नवीन मान्यता हेतु आवेदन किया गया था। संस्था म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने से उक्त संस्था के कक्षा 11वीं (हा.से.) की नवीन मान्यता के आवेदन पर विचार नहीं किया गया एवं संस्था में विद्यमान कमियों के संबंध में पत्र क्रमांक 1378/भोपाल/मान्यता/परीक्षा इन्दौर/11, दिनांक 02.11.2011 द्वारा संस्था को सूचित किया गया।

मण्डल के पत्र क्र.: 1378/भोपाल/मान्यता/परीक्षा इन्दौर/11, दिनांक 02.11.2011 के अनुक्रम में संस्था द्वारा विद्यालय के पत्र क्रमांकः 30/11/मान्यता/2011-12, दिनांक 17.11.2011 द्वारा कमियों की पूर्ति करते हुए पुनः आवेदन किया गया तथा संस्था को सत्र 2012-13 के लिये कक्षा 11वीं (हा.से.) की नवीन मान्यता का पत्र क्रमांकः 1723/मान्यता/संभाग/इन्दौर/11, दिनांक 04.01.12 जारी किया गया। संस्था की मान्यता की नस्ती के अवलोकन में पाया गया कि संस्था दाताहरि पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल कुक्षी, जिला-धार को सत्र 2012-13 के लिये कक्षा 11वीं (हा.से.) की नवीन मान्यता प्रदाय किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांकः 1723/मान्यता/संभाग/इन्दौर/11, दिनांक 04.01.12 जारी किया गया, किन्तु नस्ती की कार्यालयीन नोटशीट पृष्ठ क्र. 01 से 10 तक नस्ती से गायब थी।

संस्था दाताहरि पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल कुक्षी, जिला-धार की कक्षा 11वीं (हा.से.) की नवीन मान्यता संबंधी कार्यालयीन टीप (पृष्ठ सं. 01 से 10 तक) गायब होने पर इन्दौर परीक्षा संभाग के सहायक सचिव श्रीमती सावित्री वट्टी, कक्षाधिकारी सुश्री लीला साधवानी एवं मान्यता समन्वय के कक्षाधिकारी श्री के.आर.. शाक्य के विरूद्ध कार्या. पत्र क्रमांकः प्रशा/स्था/ए-4/वि.जा./1168-69/12, दिनांक 27.06.2012 द्वारा संयुक्त विभागीय जॉच संस्थित की गयी।

विभागीय जॉच में अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये गये थे :-

1. बिना सक्षम् स्वीकृति के अशास. शिक्षण संस्था दाताहरि पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल कुक्षी, जिला-धार को सत्र 2012-13 के लिये कक्षा 11वीं (हा.से.) की नवीन मान्यता का पत्र जारी किया जाना।
2. अशास. शिक्षण संस्था दाताहरि पब्लिक हायर सेकण्डरी स्कूल कुक्षी, जिला-धार की सत्र 2011-12 की कक्षा 11वीं की नवीन मान्यता की नस्ती की कार्यालयीन टीप पृष्ठ सं. 01 से 10 तक नस्ती से गायब किया जाना/नष्ट कर दिया जाना।

1/ श्रीमती सावित्री वट्टी, सहायक सचिव, सुश्री लीला साधवानी, कक्षाधिकारी एवं श्री के.आर. शाक्य, कक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के विरूद्ध संस्थित संयुक्त विभागीय क्रमांकः प्रशा/स्था/ए-4/वि.जा./1168-69/12, दिनांक 27.06.2012 के आरोपों की जॉच हेतु आदेश क्रमांकः 398-99/13, दिनांक 04.05.2013 द्वारा प्रकरण में जॉचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

2/ जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच सम्पन्न की जाकर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 11.08.14 को सौंपा गया।

3. जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध आरोपित आरोप को प्रमाणित होना नहीं पाया गया।

प्रकरण का परीक्षण किया गया। श्रीमती सावित्री वट्टी, सहायक सचिव व सुश्री लीला साधवानी, कक्षाधिकारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो गयी हैं तथा जॉच अधिकारी ने अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित होना नहीं पाया है। अतएव श्रीमती सावित्री वट्टी, सहायक सचिव, सुश्री लीला साधवानी, कक्षाधिकारी एवं श्री के.आर.. शाक्य, कक्षाधिकारी के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जॉच/अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

~~(शशांक मिश्र)~~
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल